प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

2. प्रतिवेदन के अध्याय I में राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण, सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख राजकोषीय मापदंडों की प्रवृतियाँ जैसे राजस्व आधिक्य/कमी, राजकोषीय आधिक्य/कमी आदि शामिल है।

3. प्रतिवेदन के अध्याय II और III में क्रमशः 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखों और विनियोग लेखों की जाँच में प्रकट होने वाले मामलों पर लेखापरीक्षा आक्षेप सम्मिलित है। राजस्थान सरकार से जहां भी आवश्यक हो, सूचना प्राप्त की गई है।

4. अध्याय IV "लेखों की गुणवत्ता तथा वित्तीय रिर्पोटिंग प्रथाओं" पर चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों की अनुपालना की स्थिति एवं विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

5. अध्याय V "राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (एसपीएसयू) के वित्तीय प्रदर्शन" सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगमों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा करता है जैसाकि उनके नवीनतम लेखों और उनके द्वारा दी गई जानकारी से पता चलता है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की निरीक्षण भूमिका के परिणामों को प्रस्तुत करता है।

6. निष्पादन लेखापरीक्षा तथा विभिन्न सरकारी विभागों के लेनदेनों की लेखा परीक्षा के निष्कर्ष और सांविधिक निगमों, बोर्ड एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा में प्रकट हुये आक्षेपों तथा राजस्व प्राप्तियों के आक्षेपों के निष्कर्ष वाले प्रतिवेदन को पृथक से प्रस्तुत किया जाता है।